न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच0जे0एस0)
(JO CODE UP–2002)
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1086/2026
CNR No. UPGH010025872026

मनीष बिन्द उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र हीरा बिन्द निवासी ग्राम फुल्लनपुर (फत्तेहपुर सिकन्दर), थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर।

------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उ0प्र0 सरकार
2– प्रहलाद मोदनवाल पुत्र स्व० हरिवंश मु० वार्ड नं० 6, कस्बा सैदपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर।

------विपक्षीगण

एवं
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1234/2026
CNR No. UPGH010028612026

विशाल बिन्द उर्फ प्रभाष राम उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र रामलखन बिन्द साकिन बिन्दपुरवा महराजगंज, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर।

------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उ0प्र0 राज्य
2– प्रहलाद मोदनवाल पुत्र स्व० हरिवंश साकिन वार्ड नं० 6, कस्बा सैदपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर।

------विपक्षीगण

मु०अ०सं०–412/2025
धारा–331(4),305,317(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–सैदपुर, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्तगण की ओर सेः श्री अवनीश कुमार त्रिपाठी, एड0
श्री शादाब अहमद, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय, जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

11–06–2026 **आदेश**

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1086/2026 आवेदक/अभियुक्त मनीष बिन्द व प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1234/2026 आवेदक/अभियुक्त विशाल बिन्द उर्फ प्रभाष राम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–412/2025, धारा–331(4),305 भारतीय न्याय संहिता, थाना सैदपर, जिला गाजीपुर के मामले में जमानत पर अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध है। चूँकि उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्र एक ही अपराध संख्या व एक ही घटना से संबंधित है तथा पृथक–पृथक प्रस्तुत किये गये है। अतः सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों जमानत प्रार्थनापत्रों का निस्तारण एक साथ ही किया जा रहा है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा प्रहलाद मोदनवाल द्वारा संबंधित थाना पर इस आशय का अभियोग पंजीकृत कराया गया कि प्रार्थी का मकान हरि चौराहा से पूरब जाने वाली सड़क से पूरब तीसरा मकान है। प्रार्थी व उसकी पत्नी सासाराम (बिहार) शादी में गये थे तथा लड़का आनंद कुमार मोदनवाल जो बलिया जिले में सहायक

अध्यापक के रूप कार्यरत है, ड्यूटी पर था, घर पर ताला लगा था। दिनांक 22–11–2025 शाम को लगभग 7:15 बजे प्रार्थी का लड़का बलिया से आया तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। बगल के सी.सी.टी.वी कैमरा से मालूम हुआ कि दिनांक 22–11–2025 को रात में 2 व 3 बजे के बीच में 4 की संख्या में लोग घर का ताला तोड़ कर लोग अन्दर घुस गए। सी.सी.टी.वी. फुटेज के अनुसार घर से सामान लेकर वाहन संख्या UP65DF0078 से फरार हो गए। प्रार्थी के लड़के ने तुरंत उसे सूचना दिया तो रात में प्रार्थी और उसकी पत्नी सैदपुर आ गये तो घर में जाकर देखा तो पता चला कि ऊपरी तल पर रखी आलमारी का ताला तोड़कर आलमारी में रखा नगद लगभग 20,000/– (बीस हजार रुपया) जिसमें एक दस की गड्डी व प्रार्थी के पोते के हाथ का चाँदी का कड़ा 3 जोड़ा व पैर का छागल चाँदी का 3 जोड़ा व बहु का सोने का चैन व बहु व लड़के की हाथ की घड़ी व प्रार्थी की सोने की अँगुठी व सोने की सिकड़ी, ब्लूटूथ स्पीकर व लडके का सरकारी विभाग द्वारा मिला टैबलेट IMEI No. 352140906522972 व उसमे लगा सिम नं, 89910009086467476O6U व आलमारी में रखा अन्य सामान चोरी हो गया है। उक्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–412/2025, धारा–331(4),305 भारतीय न्याय संहिता, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता पाते हुए उसका प्रकरण में चालान किया गया।

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। कथित गिरफ्तारी व बरामदगी का कोई जनसाक्षी नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। कथित घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिखाया गया है। मुकदमें की धाराएँ प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षणीय है। मामले के सहअभियुक्तगण भीम कुमार व दीपक कुमार राय की जमानत श्रीमान जी के न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। आवेदकगण/अभियुक्तगण क्रमशः दिनांक 23–05–2026 व दिनांक 25–05–2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा यह तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की मामले में संलिप्तता पायी गयी है तथा उनके द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर चोरी की गयी है। उक्त के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण पर वादी मुकदमा के घर में घुसकर चोरी करने का आरोप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। कथित घटना दिनांक 22–11–2025 की कही गयी है, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट 03 दिन के विलम्ब से दिनांक 25–11–2025 को दर्ज करायी गयी है। सहअभियुक्तगण भीम कुमार व दीपक कुमार के पकड़े जाने पर उनके दिये गये बयान के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित धाराएं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। मामले के सहअभियुक्तगण भीम कुमार व दीपक कुमार राय की जमानत इस न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। अभियोजन द्वारा आवेदकगण/अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण क्रमशः दिनांक 23–05–2026 व दिनांक 25–05–2026 से अभिरक्षा में है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–

दोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये इस स्तर पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर अवमुक्त किये जाने का पर्याप्त एवं समुचित आधार है।

6– अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण मनीष बिन्द व विशाल बिन्द उर्फ प्रभाष राम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रत्येक को मुव० 50,000/– रूपये का स्व बंधपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P and Another (2025 SCC Online ALL 5286)** व **Pappu Met @Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgement dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धातों के दृष्टिगत सम राशि की एक–एक प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर अवमुक्त किया जाता है कि–

(क)– आवेदकगण/अभियुक्तगण इस प्रकार का अपराध दोबारा नहीं करेगे।

(ख)– आवेदकगण/अभियुक्तगण साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेंगे अथवा मामले से सम्बन्धित साक्षीगण को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।

(ग)– जब तक कि आवेदकगण/अभियुक्तगण की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वे प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगे।

इस आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1234/2026 की पत्रावली में रखी जाये।

दिनांकः 11–06–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।
JO CODE UP2002